

for what he has said and assure him that whatever point that has been raised by him will be referred to the State concerned and if the State considers it necessary the Act will be amended accordingly

As far as charging of taxes at different rates is concerned, the hon Member will appreciate that that also is entirely under the control of the State Government. We cannot interfere in that matter. He simply wanted a clarification that Mirzapur stone be classified as sand-stone. This matter, we assure him, will be referred to the State concerned.

Mr. Chairman: Is that the reply?

The Minister of Mines and Oil (Shri K. D. Malaviya): I have nothing to add to what my hon colleague has said. The matter will be referred to the State Government and I hope they will accept the good advice given by my hon friend, Shri Raghunath Singh.

Shri V. P. Nayar: I could not find out as to what type of stone it is. Unfortunately I have not been to Mirzapur. What is the chemical composition of this stone?

Shri K. D. Malaviya: So far as the sand-stone referred to by my hon friend is concerned, it appears to me

Shri V. P. Nayar: It is not a precious stone?

Shri K. D. Malaviya: No. It is silica, containing perhaps more airspace than what is contained usually in other stones. Physically it is not such a compact stone as other stones are.

Shri V. P. Nayar: What geological age do you attribute to it?

Shri K. D. Malaviya: I do not know what the geological age of that sand-stone is. I cannot say.

श्री रघुनाथ सिंह : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने और संसदीय सचिव महोदय ने जो भाषासुन दिया है उस का मैं स्वागत करता हूँ और फिर उन से निवेदन करता हूँ कि वह स्टेट गवर्नमेंट को इस बारे में याद कर के हिदायत भेजें और अपनी ओर से सुझाव भेजें कि जो बेचारे गरीब लोग पत्थर की खानों में काम करने वाले हैं और पत्थर तोड़ कर पैसा पैदा करने वाले लोग हैं उन का कुछ उपकार किया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को वापस लेता हूँ।

Mr. Chairman: Has the hon Member leave of the House to withdraw the Bill?

Shri V. P. Nayar: No. It is a very important Bill.

Mr. Chairman: I do not think Shri Nayar means it seriously. I think the hon Mover of the Bill has the leave of the House to withdraw it.

The Bill was, by leave, withdrawn.

15.46 hrs

ORPHANAGES AND OTHER CHARITABLE HOMES (SUPERVISION AND CONTROL) BILL,
by Shri Kailash Bihari Lall

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Mr. Chairman, Sir, I have the honour to move

"That this House concurs in the recommendation of Rajya Sabha that the House do join in the Joint Committee of the Houses on the Bill to provide for the supervision and control of orphanages, homes for neglected women or children and other like institutions and for matters connected therewith by Shri Kailash Bihari Lall, made in

[Shri D. C. Sharma]

the motion adopted by Rajya Sabha at its sitting held on the 4th September, 1959 and communicated to this House on the 7th September, 1959 and resolves that the following Members of Lok Sabha be nominated to serve on the said Joint Committee namely: Shri Asoke K. Sen, Shri R. M. Hajarnavis, Shri K. V. Ramakrishna Reddy, Kumari Maniben Vallabhbhai Patel, Shri B. L. Chandak, Shri S. A. Agadi, Dr. N. C. Samantsinhar, Pandit Mukat Behari Lal Bhargava, Shri Ansar Harvani, Shri Bhagwan Din, Shrimati Renuka Ray, Shri Nek Ram Negi, Shri A. Doraiswami Gounder, Shri K. K. Warior, Shri Khushwaqt Rai, Shri Ram Garib, Shri Bibhuti Bhushan Das Gupta, Shri Bhaurao Krishnarao Gaikwad, Shri Mohammad Tahir, and the mover."

An Hon. Member: Who is he?

Shri V. P. Nayar (Quilon): Are they all charitable persons?

Shri D. C. Sharma: It is true, I am holding somebody else's baby.

Shri V. P. Nayar: Do not do it.

Shri D. C. Sharma: But I must say that it is a good baby and I am proud of being its godfather. There are many reasons which prompt me to play that role. In the first place, the condition of civilisation prevailing in a country is judged by the kind of treatment that is offered to its children. The treatment of children in a country is the index of the prosperity and also of the Welfare activities of the country. For a long time our country has not paid as much attention to women and children, specially, orphans and neglected women, as it should have done. The simple reason for that is that we were interested much more in political matters than in matters connected with social welfare. But a wholesome change has

come over our country ever since the attainment of independence. Now my country is addressing itself very systematically and very sedulously to those problems which are connected with children who are the best wealth of a country. In this matter no one deserves our sympathy and our active support more than the orphans. I do not know the number of orphans in my country; but I know that their lot is very hard. At the same time, the lot of neglected women, who are neglected by their husbands or their relations, is also pitiable.

It is true, we have some institutions for looking after these orphans and for taking care of these neglected women. But, I am constrained to point out that these are very often, unless they are run by recognised and well established social welfare agencies, commercial propositions. They are run by persons whose sole object is to traffic in the misery of these orphans, to trade upon the sad plight of these neglected women. I think this is one of the stock topics of our novels, this is one of the stock subjects of our films, this is one of the well known themes of our social reformers. In this matter, I must say, our record has not been very fine. I know, there are some institutions run by the Arya Samaj, by Sanatan Dharma samaj, the Singh Sabha and Christian societies that are doing very good work. I have nothing to say against them. There are also some institutions which are run by individuals. I do not take exception to every such institution run by an individual. But, I must say that most of them do not give a good account of themselves. Every now and then, we read in the papers that something has gone wrong somewhere, in some institution which looks after these destitute persons, whether children or women, and these awaken our conscience. They are a challenge to our social sympathy. So, in the light of our social need, in the light of the fact that we are building up a social welfare State, in view

of the fact that we have a Social Welfare Board and other agencies which are trying to improve the lot of children and neglected women, I think, this Bill is very timely and very opportune.

The story of social legislation in our country has not been a very happy story. It has been very unhappy when it has been sponsored by a private individual. I do not want to accuse the Government of anything. But, I submit very respectfully that the Government generally does not look with favour upon those efforts of social reform which private members in a Legislative Assembly or in the Parliament make. Either their Bills are turned down or they are given a vague assurance that something would be done in the near future which would make use of their valuable suggestions. This happens occasionally, but not very often. I have received assurances of that kind with respect to so many of my Bills. I have never seen these assurances fructifying. But, I am glad that Shri Kailash Bihari Lall has had this stroke of good luck. Good luck is very rare in this world and any one who has that rises in my estimation.

But, this good luck has come to him after a series of strokes of ill-luck. For instance, he sponsored a Bill in 1954 which came up for discussion, for reference to a Select Committee. But, the Government opposed it and therefore, the Bill had to be withdrawn. But, Shri Kailash Bihari Lall sticks it out. He is a very tough and persistent person.

Some Hon. Members: So are you.

Shri D. C. Sharma: I am nothing when compared to him.

He again introduced a Bill in 1956. Then, it came up for discussion, for circulation for public opinion on November, 30, 1956. To this, the Government agreed. I may tell you that there are three books here with me which show the opinions that were

received as regards this Bill. The opinions, by and large, and in an overwhelming degree have been favourable. For instance, I will read out one opinion which came from the District Collector of Kottayam. I think my hon. friends over there will appreciate this much more than any other person. He says:

"The proposed legislation is necessary and is in keeping with the trends of modern legislation where the functions of the State extend into social and economic fields. The provisions are adequate."

I do not want to take a lot of the time of the House reading out the opinions. But, I would submit very respectfully that public men, members of legislatures, judges of High Courts, social welfare agencies, charitable institutions, have expressed their opinions on this Bill, and they have, on the whole, welcomed the provisions of this Bill. It is because this Bill is in conformity with the need of the time, it is in conformity with the social needs of our country and our society.

One of the opinions that was given was that this Bill should be extended not only to Part A States, but also to Part B States. Now Part B States have disappeared and we have only 14 States. My hon. friend here from Bihar says that the Bill will disappear. So, you can understand how one Member from Bihar views the efforts of another Member from Bihar. I am very sorry to make comment on it. In spite of public opinion being overwhelmingly in favour of this Bill, Government turned it down because it entailed heavy expenditure. This was a hurdle created by the Government, but Shri Kailash Bihari Lall is a person who knows how to jump over hurdles. So, he gave a revised version of the Bill removing all the financial implications.

Shri Supakar (Sambalpur): What remains?

15 hrs.

Shri D. C. Sharma: All the wholesome provisions for the protection of neglected children and women remain in this Bill.

Shri V. F. Nayar: Is it for old men?

Shri D. C. Sharma: I think it would be left to you to bring a Bill which will deal with old men, and I know that if you go on speaking at this rate, you will be older much sooner than you think!

So, the Bill has had so many transmutations, and in its present form was presented to the Rajya Sabha by my esteemed friend Shri Kailash Bihari Lall, the indomitable Kailash Bihari Lall, on 8th May, 1959. On the 21st August, 1959 the sponsor moved in the Rajya Sabha that this Bill be referred to a Joint Committee. Then somebody raised a point of order, but that point of order was also over-ruled, and then it was unanimously agreed to refer this Bill to a Joint Committee of both the Houses. It is on account of that that this Bill is before you.

Now I would submit very briefly and very respectfully that this Bill contains many wholesome provisions. Let me refer to the Statement of Objects and Reasons. This Bill breaks fresh ground because the topics with which it deals have not been before any legislator in this form before. I say this with emphasis on the words in this form. The Bills which have been introduced so far in the State legislatures and Parliament have been restrictive. They have been of a penal kind, they have provided that penal action should be taken against those who practise any anti-social activities connected with children and neglected women. These Bills have dealt with orphanages and widows' homes and vested power in the executive to deal with these anti-social and criminal activities, but

all that has been negated. The present Bill is more constructive in its nature. It does not deal with anti-social activities, but it deals with constructive activities connected with children. This Bill wants orphanages and charitable homes to give protection to these neglected members of our society, but it wants that the whole thing should be on a proper basis. It is also a kind of appeal to all charitably inclined persons to support these institutions which are run along proper lines, run in such a way that they serve the national interests. This Bill seeks only one thing, and it is this, that every State should establish a Board of Control for orphanages and charitable homes.

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur): Has the motion been passed by the Rajya Sabha?

Shri D. C. Sharma: Yes.

Shri Sinhasan Singh: Then, I think, if you have no objection, you might conclude now as there are other hon. Members who want to speak.

Shri D. C. Sharma: I am very thankful to you for this very generous gesture that you have made.

Shri Sinhasan Singh: You may reserve the speech for the consideration stage.

Shri D. C. Sharma: I thank you very much for that, but I think the intention of some of the Members is this, that they should know slightly little more about this Bill. Of course, you know all about it already.

Mr. Chairman: Order, order. Members should address the Chair.

Shri D. C. Sharma: I am sorry.

I also want to say one thing, that on account of this Bill, no existing orphanage or charitable home will

suffer. Only that type of institution will suffer that is not doing work along the right lines.

This Bill has been drafted with a great deal of care, and I think the lawyer Members of this House will appreciate it very much. Chapter I of the Bill deals with definitions as usual. In Chapter II we have the duties of the Board. The duties of the Board are to advise the State Government on matters concerning the recognition, maintenance and conduct of homes and generally to supervise and control all matters relating to the management of homes. This Bill also gives those persons the power of inspection. If they think that the provisions of this Bill are being infringed anywhere, they will have the power to inspect those institutions so that no harm is done to our society. At the same time, this Bill confers upon the Board the power of recognition of homes. This recognition can be done only on giving an application on the proper form. The conditions of recognition are also given here. These conditions are such as will make the abuses connected with these institutions a thing of the past.

This Bill also provides for the management of recognised homes. It wants that the management of these homes should be vested in properly constituted bodies. And it wants that these homes should look after these children and neglected women, as long as they are not able to look after themselves.

Then, this Bill also says that if anybody goes against its provisions, he will be punished. So, the powers of the State board are threefold; in the first place, it can grant recognition; in the second place, it can inspect, and in the third place, it can also give such directions as are necessary when it is going round.

There is also provision for making rules, and if the Bill is passed, those

rules will be placed before both Houses of Parliament. I am not asking my hon. friends to endorse every word that is to be found in this Bill. I am asking them to give their general support to the very wholesome provisions of this Bill. As you know, Sir, this Bill will go before a Joint Committee, and the Joint Committee, I am sure, will make due changes in it, and if necessary, it will improve it; if it is not necessary to improve it, it will send back the Bill as it is.

I am sure that since all of us have the welfare of children at our heart, we shall give unanimous support to this Bill. With these words, I move.

Mr. Chairman: Motion moved:

"That this House concurs in the recommendation of Rajya Sabha that the House do join in the Joint Committee of the Houses on the Bill to provide for the supervision and control of orphanages, homes for neglected women or children and other like institutions and for matters connected therewith by Shri Kailash Bihari Lal, made in the motion adopted by Rajya Sabha at its sitting held on the 4th September, 1950 and communicated to this House on the 7th September, 1950 and resolves that the following Members of Lok Sabha be nominated to serve on the said Joint Committee, namely: Shri Asoke K. Sen, Shri R. M. Hajarnavis, Shri K. V. Ramakrishna Reddy, Kumari Maniben Vallabh-bhai Patel, Shri B. L. Chandak, Shri S. A. Agadi, Dr. N. C. Samant-sinhar, Pandit Mukat Bihari Lal Bhargava, Shri Ansar Harvani, Shri Bhagwan Din, Shrimati Renuka Ray, Shri Nek Ram Negi, Shri A. Doraiswami Gounder, Shri K. K. Warior, Shri Khush-waqt Rai, Shri Ram Garib, Shri Bibhuti Bhushan Das Gupta, Shri Bhaurao Krishnarao Gaikwad, Shri Mohammad Tahir, and Shri Diwan Chand Sharma."

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): I rise to support this Bill, and I must congratulate the hon. Member Shri Mahesh Bihari Lal who has sponsored this Bill.

की बिरोध वाली (रावबरेली): हिन्दी में बोली। कोई ताउब इश्वरन नहीं है।

Shri M. R. Krishna (Karimnagar—Reserved-Sch. Castes): We are here. But if the hon. Member wants to speak in Hindi, he may do so.

Shri S. M. Banerjee: This Bill was not only necessary but it was essential in view of the condition of the orphanages in the various places in our country. I know that with the exception of one or two orphanages in my constituency in Kanpur, the other orphanages just use these orphans for some business purposes. I know that these orphans are not taught anything except that they are given some band or some instrument to play on.

Shri Feroze Gandhi: There are some political orphans also.

Ah Hon. Member: Independents.

Shri S. M. Banerjee: Of course, there are political orphans also, but, for them, there is also a political orphanage. My submission is that the very purpose of the orphanage will be defeated if it is not controlled properly. Some big people, moneyed people, out of their abundance, pay some good amount in the name of *dharma* or anything else and they allow these orphanages to function. And these boys are asked to go from door to door to collect some amount.

I know that once a very small boy came to me and said that he was blind, and he came from an orphanage in Kanpur. I could see that he was not blind. I asked him nicely 'Open your eyes, and I shall pay you four annas'. The boy immediately opened

his eyes, and I paid him four annas. This is what they are taught.

Shri V. P. Nayar: Did he pay?

Shri S. M. Banerjee: This is what is actually taught to these boys who can become as good citizens of this country as the Members of this House. So, a Bill of this nature is very essential.

But this Bill has not defined the term 'neglected woman'. There is a serious problem in certain places where prostitution has been banned. I welcome the banning of prostitution. In fact, prostitution should have been banned long before. But what will happen to these neglected women who have no place in the society? Thousands of women in Kanpur—I know there are about seven thousand of them there—have actually been asked to leave their homes there. Now, where would they go?

Shri Feroze Gandhi: To China.

Shri S. M. Banerjee: What should they do? The whole difficulty is that they are not given any houses even in other localities; wherever they go, they are chased by the policemen, and unless they pay something, a share of their profit or money to the policemen, they are not allowed to stay there. This has become a very serious problem. I would request the Deputy Minister of Law to give some reply on this point, because, after all, they are also neglected women, and we cannot take them back in society; and no young men in the country have the courage to marry their daughters and bring them back in the society. So, I hope it is the moral responsibility of Government to give them a place in the society by rehabilitating them properly.

So, not only the case of orphans but even the case of these neglected women should be considered. There

is no doubt that this is a social evil which has to be remedied. Supposing these women are allowed to remain like this, without any means of livelihood, then with all their good wishes, with all their good intentions, they cannot but go back to the same profession; they will be forced to do the same job, which is banned in certain places.

So, my submission is that when this Bill goes before the Joint Committee, there should be a proper survey of this matter. Government should institute a committee, or the Members of the Joint Committee should go to some places and see the said plight of these neglected women and these small orphan boys, these blooming boys whom we want in this country to prosper.

So, I welcome this Bill, and while doing so, I would like that some of these neglected women should also be allowed to come and give evidence before the Joint Committee, so that they may express their sentiments correctly and without any fear.

With these words, I support this Bill, and I congratulate Shri Kailash Bihari Lall.

श्री मुनमुनवाला (भागलपुर) : चेयरमैन साहब, यह बिल हमारे शहर के रहने वाले बाबू कैलाश बिहारी लाल, जैसाकि शर्मा साहब ने बतलाया, सन् १९५४ में लाये थे। बड़ी मेहनत के बाद वे इस की उपयोगिता सरकार को समझा सके, और मैं सरकार को बधाई देता हूँ कि यद्यपि हमारी स्टेट वेलफेअर स्टेट कही जाती है परन्तु जो सचमुच वेलफेअर की चीजें हैं वह उस को बहुत देर से समझ में आती हैं, लेकिन अब भी उस की समझ में यह बात आ गई। जो कुछ थोड़ा बहुत इस बिल में किया गया है वह बहुत अच्छा है, कुछ काम तो शुरू हुआ, परन्तु जितना सरकार को करना चाहिये था वह कुछ भी नहीं हुआ। जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, जिम प्रकार की

दशा हमारे आफनेजेज और विधवाश्रमों की है, उस को देखते हुए सरकार को चाहिये कि वह एक कमेटी बिठलाये और कमेटी बिठला कर जांच करे कि इन स्थानों की क्या अवस्था है। केवल एक इस प्रकार का बिल ला कर के वह सन्तोष न कर ले बल्कि एक कांमिग्रहेन्सिव बिल लावे और इस प्रकार का फैसला करे कि हर जगह, कम से कम हर जिले में इस प्रकार के आफनेजेज खोले जायें। हमारे भाई श्री कैलाश बिहारी लाल आफनेजेज के काम में करीब १५ वर्षों से लगे हुए हैं। जहां पर उन का आफनेजेज है, मुश्क को भी जा कर उसे देखने का मौका मिला है। वहां पर आफन्स और विधवायें तो हैं ही, परन्तु सौभाग्यवश वहां ऐसे कार्यकर्ता भी हैं जोकि अपने बच्चों को भी उतना प्रेम नहीं करते जितने प्रेम से पुचकार पुचकार कर वे उन बच्चों को गोद में लेते हैं। वहां पर इस प्रकार के दो चार कार्यकर्ता हैं और उन की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती ही जाती है। एक हमारे पंचानन झा हैं, जिन को मैं ने वहां पर जा कर देखा। वह एक बरस के लड़के को, जोकि आफन था और जंगल में पड़ा हुआ था या शायद खेत में पड़ा हुआ था, उठा कर लाये और हम को दिखलाया। उस बच्चे की वह इतना प्रेम करते थे कि मुझे देख कर अचम्भा हुआ। यह भावनायें हमारे कार्यकर्ताओं की हैं। परन्तु सरकार की ओर से इस ओर बड़ी भारी उदासीनता है। इस में सरकार को जरा सी दिलचस्पी दिखलानी चाहिये और जो असली काम वेलफेअर स्टेट का है, जैसाकि बिल में शुरू में कहा गया था कि हर जगह आफनेजेज खोले जायें, उस के लिये एक बिल लाना चाहिये।

जसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, यह ठीक है कि आफनेजेज और विधवाश्रमों में बदमाशियां भी बहुत हुआ करती हैं। यह एक प्रकार का प्रोफेशन सा हो गया है, जैसाकि उन्होंने ने उदाहरण दिया। उन्होंने ने एक अन्धे लड़के से कहा कि तुम आंखें खोल दो तो तुम्हें

[श्री सुनसुम्बारासा]

४ भा० पूंगा और उस ने धाँस कोल दी। इस प्रकार की भी बहुत सी संस्थाएँ हैं। इस प्रकार की संस्थाओं को बन्द करने के लिये भी सरकार को बहुत काम करना है। वह आवश्यक भी है और जल्दी करना चाहिये जिस में ऐसे लोगों को उत्साह न होने पाये। उन को बराबर डिस्क्रेज करना चाहिये। लेकिन जिस प्रकार की संस्थाएँ होनी चाहियें, जिस प्रकार की संस्थाओं की आवश्यकता है, उन की सरकार को ज़ुले दिल से मदद भी करनी चाहिये। हमारे देश में ऐसी स्थिति हो गई है कि यह काम करना बहुत आवश्यक है। गरीबी के कारण या दूसरे कारणों से इन आर्केनेजेज और विधवायमों की बहुत ही बुरी हालत है। सरकार को इस ओर ध्यान दे कर ऐसा करना चाहिये कि कम से कम हर एक जिले में एक एक विधवायम और एक एक आर्केनेज हो जाय।

15.24 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

यह ठीक है कि सरकार ने शुरू में जब यह बिल श्री कंसास बिहारी साल लाये तो उस में आइनेशन इम्प्लिकेशन देखा, इसलिये इस में इतनी देर हो गई। परन्तु उस में कुछ कर्ष करने के लिये सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिये, धाने धाना चाहिये और इस में जो कर्ष करने वाले हैं उन को उत्साहित करना चाहिये। जो बोर्ड बनाने की इस में योजना है वह बहुत सुन्दर योजना है। मैं उस की सार्थक करता हूँ परन्तु बोर्ड में जो लोग लिये जायें वह इस प्रकार के लिये जायें जोकि सचमुच में ऐसे कामों से प्रेम रखते हों और समय पड़ने पर वे उस में सच्ची राय दे सकें केवल आर्गामेंट्स बोर्ड बनाने से काम नहीं चलेगा। उस में विशेष कुछ कहना नहीं चाहता। इतना ही कह कर के मैं बठठा हूँ। सरकार को बचाई देता हूँ और सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि

वह एक बड़ा कम्प्रीहेन्सिव बिल लावे जिस से कि हर एक जिले में इस प्रकार की संस्था कायम करें और धान जो संस्थाएँ बननाहीं को अपना देखा बनाये हुए है, उस को भी कड़े कायम का कर ऐसी हरकतों से बाध रखें और इन सरावियों को दूर करें।

जीमटी अनाथान साहू (गिरनार) :

उपाध्यक्ष महोदय, धर्म भी ने जो बिल रखना मैं उस का स्वागत व समर्थन करती हूँ। इस बारे में मेरा भी कुछ अनुभव है और इस नाते मेरी भी इच्छा इस बिल के सम्मन्ध में कुछ निवेदन करने की हुई।

सीराष्ट्र में इस प्रकार का एक बिल प्राप्त हुआ था। उस में संस्थाओं को इन्स्पेक्ट करने और सर्टिफाई करने की बातें थीं और योकि पर कब्जा लेने की भी तजवीजें थीं और सीराष्ट्र में हम ने देखा कि जो संस्थाएँ वहाँ पर चल रही थी उस में हम बहुत कुछ सुधार कर सके और उन की गतिविधियों को किसी हद तक कंट्रोल भी कर सके। धर्म इस बिल पर बोलते हुए श्री बनर्जी ने बच्चों और नेम्ले-कटेड बीमेन के लिये जो फरमाया उस से मैं सहमत हूँ। कुछ संस्थाएँ चलबत्ता ऐसी हैं जोकि वाकई में धारकन बच्चों से प्रेम और हृदयी रखती हैं और वहाँ पर ठीक से उन की देखरेख करती हैं लेकिन मुझे यह खेद के साथ कहना पड़ता है कि देश में ऐसी संस्थाएँ बहुत कम हैं वैसे संस्थाएँ तो बहुत काफी हमारे देश में चलती हैं लेकिन उन में होता यह है कि बच्चों को बाहर बाजारों और मेलों ठेकों में छोड़ दिया जाता है और उन से धाना बचाना करवा कर बचा इकट्ठा करवाया जाता है। मैं समझती हूँ कि अब इस तरह की सराव हमल हमारी इन संस्थाओं की है तो सरकार का उन पर कुछ न कुछ नियंत्रण रहना आवश्यक हो जाता है। धान धारकन को धनाने के लिये हमें अपने धारे समाज के लोभ को प्रवर्तना होना। एक वेनकेयर

स्टेट होने के नाते सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि समाज के इन उपेक्षित वर्गों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे और ऐसे बच्चे जोकि धारफंस हैं, जिन के कि माता पिता नहीं हैं और जिन की कि भाव बुरी दया है, उन की समुचित देखभाल करने के लिये सरकार उपयुक्त लेजिस्लेशन लाये और आवश्यक व्यवस्था करे। सरकार के अलावा सारे समाज को भी इस के लिये जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी चाहिये।

शर्मा जी ने यह सुझाव दिया कि ऐसे लावारिस बच्चों को लोगों को इंडिविजुअली भी अपना लेना चाहिये। उन का यह विचार सुन है लेकिन मैं समझती हू कि हमारे देश में ऐसे लोगों की तादाद कम ही होगी। अलबत्ता दूसरे देशों की बाबत मैं ने यह जरूर सुना है कि वहाँ पर काफी लोग ऐसे धारफन बच्चों को अपना लिया करते हैं। अब चूँकि हमारे देश में ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है तो यहाँ पर ऐसी संस्थाओं का होना जरूरी हो जाता है जहाँ पर कि ऐसे बच्चों को रक्खा जा सके और उन का पालन पोषण और पठनपाठन ठीक तरह से किया जा सके।

जहाँ तक बहिनो का सम्बन्ध है उन की भी व्यवस्था देख कर मुझे रज होता है और तरस आता है। मैं ने बहिनो की ऐसी संस्थाये देखी हैं जहाँ कि उन को रख कर एक्स-प्लायट किया जाता है। धर्म समाज व अन्य संस्थाओं द्वारा इस तरह की महिला संस्थायें चलाई जाती हैं और मुझे यह बड़े दुःख और धर्म के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी कई संस्थायें हैं जहाँ उन बेचारी महिलाओं को भी एक्सप्लायट किया जाता है। और वे चूँकि हेल्पलस होती हैं इसलिये कुछ नहीं कर सकती। इसलिये यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि इन संस्थाओं पर सरकार का नियंत्रण रहे ताकि भाव जो यह गड़बड़ी चलती है और औरतो को एक्सप्लायट किया जाता है वह न किया जा सके। वह बिल मेरी सख्त में श्रीमति बिल है और इस

को और वाइडेन किया जाना चाहिये और नेगलेक्टड बीमेन के लिये भी अगर इस बिल के द्वारा समुचित व्यवस्था कर दी जाय और उन की देखभाल की व्यवस्था कर दी जाय तो बेहतर होगा।

यह जो बोर्ड बनाया जा रहा है उस के लिये मेरा कहना है कि बोर्ड में ऐसे सदस्य रखने चाहिये जिन की कि इस काम में दिलचस्पी हो और प्राफिटिएल तीर पर ऐसे लोग न रखे जायें जिन की कि इन सामाजिक कामों में दिलचस्पी न हो। इसलिये मेरा कहना है कि केवल बिल को इसी सीमित रूप में पास कर देने से काम चलने वाला नहीं है। इस के साथ मुझे यह भी कहना है कि चिल्ड्रेन ऐक्ट जोकि कई स्टेट्स में है और जैमे कि बम्बई में है वह भी साथ में लगाया जाना चाहिये क्योंकि यहाँ तक सुना गया है और यह हकीकत भी है कि भात्र लावारिस बच्चे जोकि मंगड़े लूटे और अंधे मड़कों पर भीख मांगते घूमा करते हैं वह अंधे और लूटे मंगड़े होने का बहाना करते हैं, मूठ मूठ को अंधे बन जाते हैं ताकि लोग उन पर दया कर के भीख दे दें लेकिन इस के साथ ही हमारे देश में मेमा भी चल रहा है और यह मैं अनुभव के आधार पर कहती हू कि कुछ लोग छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लेते हैं और ले जा कर उनको घासों फोड़ देते हैं और हाथ पैर तोड़ देते हैं और इस तरह से उन को हर तरह अपाहिज बना कर पैसा डकठठा करवाते हैं और मैं हाउस को यह बतलाना चाहती हू कि हमारे देश में इस तरह के घायमी भी विद्यमान हैं जोकि यह ध्वनित और कुत्सित काम करते हैं और इस तरह पैसा कमाते हैं। मैं चाहती हू कि बिल में यह भी व्यवस्था हो ताकि १८ साल से कम उम्र के बच्चे यदि इस तरह भीख मांगते हुए पाये जायें तो उन को पुलिस अपने कब्जे में ले के। इस काम के लिये हम किसी एक संस्था या कुछ व्यक्तियों को भी एचोराइज कर सकते

[श्रीमती जयाबेन शाह]

हैं जोकि इस तरह के कम उम्र के बच्चों की देखरेख का काम अपने ऊपर ले लें और यदि ऐसी व्यवस्था हो जाय तो मैं समझती हूँ कि सारा मामला कुछ हद तक हल हो सकता है। लेकिन अगर हम ने सिर्फ इसी वर्तमान रूप में बिल को पास किया तो हम केवल उन्हीं बच्चों और बहनों की प्रोटेक्ट कर सकेंगे जोकि इन संस्थाओं में आते हैं लेकिन हमारे वे अभागे बच्चे और बहनें जोकि हमारे पास नहीं आतीं और जोकि ऐसी संस्थाओं में नहीं आतीं और जोकि रास्ते में इधर उधर घूमते हैं और जोकि अनैतिक और खराब लोगों के हाथों में पड़ कर अपना जीवन बर्बाद कर डालती हैं, उन के वास्ते हम कोई प्रोटेक्शन नहीं दे पायेंगे और उन का उद्धार हम नहीं कर पायेंगे। मुझे मालूम है कि कैसे हमारी छोटी छोटी लड़कियां इस तरह के शैतान आबमियों के हाथों में पड़ कर अपना जीवन बर्बाद कर डालती हैं और वे लोग उन लड़कियों को किस तरह एक्सप्लायट कर के पेशा कमवाते हैं और इस तरह का अनैतिक धंधा करते हैं। मैं इस के साथ ही वह भी अर्ज करना चाहती हूँ कि यह बिल तो ले ही आये हैं लेकिन इस के साथ ही यह भी कोशिश की जाय कि सारे देश के वास्ते एक ऐसा चिल्ड्रेन ऐक्ट बनाने की कोशिश करें और यदि हम ऐसा कर सकें तो हम सारे देश के बच्चों की दुआ हासिल कर सकेंगे और हमारी वे अभागी बहनें भी हमारा आजन्म आभार मानेंगी। हालांकि काफी जगह पर लेजिस्लेशन कर के यह प्रास्टीच्युशन बन्द कर दिया गया है लेकिन तो भी वह एकदम रुका नहीं है और प्रास्टीच्युशन चल रहा है और कानून से इस का कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हमें तो अपने देश और समाज में एक ऐसा वातावरण बनाना होना जिस में यह कुप्रथा हमारे बीच में से सदा के लिये हट जाय। आज हमारा समाज उन अभागी बहनों के लिये उपेक्षा का भाव रखता है और मैं पूछना चाहती हूँ कि

क्या उन अभागी बहनों को समाज आश्रय देता है? वहां से जब बहनें वापिस आती हैं तो उन को कौन रखता है? हम ने पाकिस्तान के निर्माण के समय देखा कि जो हमारी हिन्दू लड़कियां उधर से जबर्दस्ती रिकवर हो कर आती हैं तो समाज उन को ग्रहण नहीं करता और यहां तक कि उन के घरवाले भी उन को अपने घर में रखने से हिचकिचाते हैं। अब हमें यह देखना होगा कि जो हमारी बहनें इस तरह के कुत्सित काम में फस जाती हैं वे कोई अपनी स्वेच्छा से तो उस में जाती नहीं हैं बल्कि परिस्थितियों से लाचार हो कर उन को उस नारकीय जीवन में जाना पड़ता है और आज की जैसी अवस्था है उस में उन के लिये फिर से अपने घरों और समाज में आने का कोई रास्ता ही नहीं है, न मां बाप रखते हैं और न और कोई रखता है, समाज में उन के लिये कोई स्थान नहीं है। इसी वजह से ऐसी संस्थायें बनाई जायें जहां उन की आश्रय मिल सके। यह अत्यन्त जरूरी है।

आज जरूरत इस बात की है कि हम समाज में एक ऐसा स्वस्थ वातावरण उत्पन्न करें ताकि यह जो सामाजिक अभिशाप हमारे बीच में विद्यमान है वह हट जाय और इसलिये मैं इस बिल का स्वागत करने के साथ ही यह भी सुझाव देना चाहती हूँ कि इस के साथ और भी जो कानून और सोशल लेजिस्लेशन करना जरूरी हों, वह भी किये जायें और यदि ऐसा हम ने किया तो मुझे आशा है कि परिस्थिति में सुधार हो सकता है।

Shri V. P. Nayar: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am very glad that the hon. Member, Shri D. C. Sharma has brought forward a measure like this, in his usual fashion. He has made substantial contributions in the field of Private Members' Bills. I remember a Bill about Sanyas Diksha and another Bill for the restraint on

old age marriage which were moved by the hon. Member.

But the subject is something different from those dealt with in those previous Bills. After he made his speech, he referred to certain opinions which had been elicited. And, he was good enough to give me a copy of the opinions received from the various institutions. It was after reading some of the opinions that I thought it my duty to point out to the House what one section of people in our country were hoping to achieve.

We have already had a taste of that in Kerala; and today it is obvious, when I read these, that only one class of persons in our country have vehemently opposed any inroads into the liberty of such organisations to run their organisations. It is rather intriguing why.

Shri D. C. Sharma: It is painful also.

Shri V. P. Nayar: It is very painful and it is very intriguing why one section of the people claiming to run charitable institutions should object to the move by Government. The most violent language has also been used by some of these interests. I may be permitted to read out some opinions in order to show to the House the danger of allowing such interests in our country to function to the detriment of our people. I make no mistake about it.

Here in the opinions which have been collected, I find that only the Catholic institutions have opposed this Bill and without an exception the Catholic Priesthood have opposed it also. I wish to give the House some idea.

The first is from Rev. Father J. M. Vergottini, S. J. General Manager, St. Vincent's Charitable Institutions, Kozhikode. Because the hon. Member referred to Kottayam, I knew I

should smell a rat. What does this Very Rev. Father say? He says:

"I would submit that the provision of clause 3(2) of the Bill for obtaining recognition is uncalled for and unwarranted and is calculated to affect adversely humanitarian work and act as a set-back to voluntary institutions of charitable nature."

The Very Rev. Father is worried because Parliament is taking some powers of control and supervision. He goes on:

"Even apart from a licence, the right and authority of the State is always there to reach at wrongdoers and punish them adequately.... Their right and authority is always there to reach at wrongdoers and punish them adequately and I don't see the need of licensing when the present maintenance of orphanages with the State aid depends on their recognition which in itself I should say amounts to licensing and the present provision of clause 3(2) is superfluous."

"The provisions in clause 4 denying the State aid enjoyed all along by orphanages in case they impart religious instructions, is I would respectfully point out disastrous and suicidal to the inmates."

Mark the words, 'in case they impart religious instructions'

Then, there is Sister Rose Mary, A.C. Correspondent, St. Joseph's Orphanage, Kozhikode. What does she say?

"We protest most vehemently against the provision by which private institutions where religious instruction is provided may be disqualified for Government grants"

The Sister, therefore, wants the Government grants and also the

[Shri V. P. Nayar]

licence, also the liberty of imparting religious instruction. For what purpose, we know, as we have seen already

Then, there is the Manager St. Philomena's Orphanage

"This is to urge the Government to drop the Orphanages and Widows' Homes Bill. For the proposed Bill, if passed, would make the efficient running of Orphanages and Widows' Homes by sincere private organisations impossible."

They claim to be sincere private organisations. What non sense it is, that they do not even allow Government to have the power of supervision and control? Sir, this is a very long list I shall not bother the House with more quotations but I must be permitted to read out some other names also. They are

The Manager, Holy Infant Mary's Orphanage, Vayittiri, Wyrnad, Malabar

Hony Secretary, Indian Conference of Social Work, Kerala State. Of course, there is a list. They are all from Kerala. You must know what these people have been doing in Kerala. Then, the very reverend A. M. Patroni, SJ, Bishop and Chairman of the Roman Catholic Diocese of Calicut. In his statement he says:

"If passed its implications and penalties would be greatly detrimental to the establishment and running of such orphanages and homes. We strongly protest against the provision denying state aid to institutions, imparting religious instruction—Chairman R. C. Diocese, Calicut."

Then somebody writing on behalf of the Bishops of Madhya Pradesh, Panchmarhi says

"I do so at the requests of the Catholic Bishops having jurisdic-

tion in the State of Madhya Pradesh is."

It is a State within a State

"Archbishop of Nagpur and the Bishops of Raigarh, Ambikapur, Jabalpur and Indore who wish me to inform you that their views regarding the proposed legislation are identical to those as expressed in the Memorandum."

Now, the Bishop of Mysore says—it is very interesting to see what the Bishop of Mysore says

"I feel confident that the protests of the Christian hierarchy and the views expressed by the religious organisations—sic—conducting orphanages and widows' homes will have the desired effect."

Shri Feroze Ghandhi: What about the Nayar community?

Shri V. P. Nayar: No prominent Nayar seems to have bothered about it. Then, there is the Mother Superior, Convent of O. L. of the Assumption, Kollegal, Mysore. I do not know what 'O. L.' stands for. Then, the reverend, Mother Superior—not merely Mother but very reverend Mother Superior—Holy Family Convent, Nagavalli, Chamarajanagar, the St. Joseph's Convent, Hunsur, Mysore State, the Mother Superior, St. Anne's Convent, Sidapur, Shri M. Maryanne, Mother Superior, Assisi Convent, Tirthapalli, P. O., Mysore State, Mother C. Sonnean, Mary Immaculate Convent, Shumoga, Bangalore, St. Philomena's Convent, Mother Superior, The Sisters of Charity, Hassan, the Sisters of St. Charles, Naimjala Hospital, Bhadravati, Bangalore, Shri A. F. D. Souza, Secretary of the Catholic Association of Sagar, Mysore State. All these are opinions against the Bill. Shri A. F. D. Souza says

"The proposed Bill goes against the freedom and liberty of an individual granted by the Constitution."

They have tried outside Kerala also to see that no inroad is made by the Government which prevents them from converting innocent people to something which I do not propose to describe; they describe it as amounting to the denial of the Fundamental Rights guaranteed under the Constitution. There are some other opinions also.

Why I was keen on participating in this debate is because I see the danger of opinions expressed by a section of the Catholic Bishops and Catholic institutions. What is wrong? I do not say that the Bill by itself will serve the purpose which my hon. friend Shri D. C. Sharma wants to have because we have not provided for any Governmental aid. I know that for the purpose of discussion in this House it was necessary for the Mover to escape certain provisions and therefore, the President's sanction would become unnecessary. If that is the only objection it is all right. What is sought to be made out is a case for such orphanages and such institutions where the destitute and the infirm are looked after to be better looked after and better protected and better controlled. I know certain institutions like this. I remember to have visited one of the institutions supposed to be an orphanage in Madras which some hon. Members from Rajasthan also visited. In that institution, several boys come in the morning. On further enquiries into the matter, I found that a big house of businessman in Madras was running this institution and in the name of the institution, they were collecting importing licenses for skimmed milk which as we know, sells at 300 or 400 per cent the cost price in the black market. Some institutions are like that. We know also that gifts of milk powder, etc. are made from foreign countries. Such gifts are got from America or other countries and are given with a particular purpose to take more and more people. We saw at the time of the elections these very reverend

Sisters and Fathers leading the processions. They want freedom for that. They do not want the Government to enter into their organisations. Having regard to the activities of the Catholic institutions, especially in Kerala, it is all the more necessary that the Government should take more powers for controlling such organisations if they indulge in such very bad actions. I can give any number of instances. I do not say that all institutions are like that. These institutions have been made a tool in the hands of certain people and of late they have come more and more openly into politics. I warn the country of this danger. We must all stand united against such aggression from people within our country also. Therefore, I support Shri Sharma's Bill and I would request the Joint Committee not merely to go through the various provisions of the Bill but to make some surprise visits to some of these institutions to find out what is really happening in these institutions.

Shri L. Achaw Singh (Inner Manipur) Mr. Deputy-Speaker, this Bill is a Bill which has been recommended by the Rajya Sabha for reference to the Joint Committee. I submit that it deserves our support and concurrence. This Bill provides for the supervision and control of the orphanages and other charitable homes in the different States. I belong to a Union Territory. We have no legislature. Several States have passed laws regarding the welfare of the children and the destitute. There are other Acts also which provide for the social welfare of the neglected children and the minors in moral danger. Now, the Union Territories have no such laws. Recently, the Home Minister referred a draft Bill on children's welfare to the respective advisory committees. But I feel that it will take a long time to have the Act enforced. Yet, there are a number of orphanages and charitable homes in the Union Territories and they need supervision and control by somebody. There is no law in these

[Shri L. Achaw Singh]

Union Territories to have this control and supervision over the orphanages and other institutions. That is why I feel that this measure is very important and necessary. The various Acts in the several States regarding child welfare do not cover the whole country. Half the country may be covered but the other half is still without any special legislation for the welfare of the children. The progress in the actual implementation of the various provisions of these Acts is also disappointing. Only in the big cities like Calcutta, Bombay and Madras, voluntary efforts are made for establishing certain institutions for the welfare of the destitute people. It is in these institutions that they have been implemented to a certain extent. Still, in the other parts of the country, there are a large number of orphanages and charitable homes and we require more and more of them. These institutions can help in giving protection to the unprotected if they are properly run.

The Bill requires that in every State Government should establish a Board of control for these orphanages and charitable homes. The Board can certainly help, of course, in bringing about uniformity in the standards of the performances of these institutions and the workings of these Acts in different States.

It may be noted, Sir, that the standards are different in the different institutions in all these States. We have to lay down minimum requirements for the health and education of the children and women in these institutions. The Bill seeks to provide for a uniform policy regarding all these matters.

Then, I submit that the Joint Committee should consider another aspect of the problem. There are disparities between one Children's Act and another. For example, a child may mean a person below the age of 14, 16 or 18 depending on the State. Some State Acts have no chapter dealing

with offences against children, and most of the State Acts have no provision regarding victimised children. There are also rules governing employment of children, treatment of delinquent children, protection of destitute and neglected children, rescue of children in moral danger and other measures for the health, education, safety and welfare of the children. These rules are scattered over several Central and State Acts. There is no reason for thinking that the needs of the children are different in different regions.

I submit, Sir, a minimum of services must be worked out, established and maintained. In that case these services would be available uniformly to all the children in all the States. It is a national necessity that we should have a uniform code and we should have a comprehensive code for the establishment of these services. The Acts do contemplate enlisting the co-operation of voluntary institutions for work under the Acts, but there is not yet any uniform policy in all these institutions who care for children. They must all come under sufficient supervision and control, and they should conform to some prescribed standards. If we believe in some scientific methods, then we must also be faithful to the scientific standards. The Joint Committee should consider the question of welding the different programmes for child welfare into a single unified process. To deal with the several problems of children in different bits and compartments is to miss the totality of the conception of child welfare.

The Statement of Objects and Reasons says that no existing orphanage or charitable home is to be disturbed by the enforcement of this Act. I am sure the Control Board is not going to interfere in the day to day working of these institutions. It only seeks to regularise the management of these institutions through a

[Shri L. Achaw Singh]

Union Territories to have this control and supervision over the orphanages and other institutions. That is why I feel that this measure is very important and necessary. The various Acts in the several States regarding child welfare do not cover the whole country. Half the country may be covered but the other half is still without any special legislation for the welfare of the children. The progress in the actual implementation of the various provisions of these Acts is also disappointing. Only in the big cities like Calcutta, Bombay and Madras, voluntary efforts are made for establishing certain institutions for the welfare of the destitute people. It is in these institutions that they have been implemented to a certain extent. Still, in the other parts of the country, there are a large number of orphanages and charitable homes and we require more and more of them. These institutions can help in giving protection to the unprotected if they are properly run.

The Bill requires that in every State Government should establish a Board of control for these orphanages and charitable homes. The Board can certainly help, of course, in bringing about uniformity in the standards of the performances of these institutions and the workings of these Acts in different States.

It may be noted, Sir, that the standards are different in the different institutions in all these States. We have to lay down minimum requirements for the health and education of the children and women in these institutions. The Bill seeks to provide for a uniform policy regarding all these matters.

Then, I submit that the Joint Committee should consider another aspect of the problem. There are disparities between one Children's Act and another. For example, a child may mean a person below the age of 14, 16 or 18 depending on the State. Some State Acts have no chapter dealing

with offences against children, and most of the State Acts have no provision regarding victimised children. There are also rules governing employment of children, treatment of delinquent children, protection of destitute and neglected children, rescue of children in moral danger and other measures for the health, education, safety and welfare of the children. These rules are scattered over several Central and State Acts. There is no reason for thinking that the needs of the children are different in different regions.

I submit, Sir, a minimum of services must be worked out, established and maintained. In that case these services would be available uniformly to all the children in all the States. It is a national necessity that we should have a uniform code and we should have a comprehensive code for the establishment of these services. The Acts do contemplate enlisting the co-operation of voluntary institutions for work under the Acts, but there is not yet any uniform policy in all these institutions who care for children. They must all come under sufficient supervision and control, and they should conform to some prescribed standards. If we believe in some scientific methods, then we must also be faithful to the scientific standards. The Joint Committee should consider the question of welding the different programmes for child welfare into a single unified process. To deal with the several problems of children in different bits and compartments is to miss the totality of the conception of child welfare.

The Statement of Objects and Reasons says that no existing orphanage or charitable home is to be disturbed by the enforcement of this Act. I am sure the Control Board is not going to interfere in the day to day working of these institutions. It only seeks to regularise the management of these institutions through a

[श्री बीनारायण दास]

बनती है जो ठीक डंग से बनती है। उन का जो प्रबन्ध है, उन की जो देख भाल है वह अच्छी है और जो उपेक्षित बच्चे बच्चियों वहाँ रहती हैं या जिन महिला सवनों में, विधवा आश्रमों में, बहुत सी स्त्रियाँ रखी जाती हैं, उन का कुछ उपकार होता है। लेकिन साथ ही वह बात भी सही है कि बिना नियंत्रण के बहुत से ऐसे लोग भी हैं, ऐसी संस्थाएँ भी हैं, जो अपने स्वार्थ की वजह से ऐसी संस्थाओं को कायम करते हैं पर उन संस्थाओं के उद्देश्य का ठीक प्रकार से पालन नहीं करते और उन से नाप्राप्त फायदा उठाते हैं। ऐसी संस्थाएँ हैं जो धार्मिक संस्थाएँ हैं लेकिन जिन का उद्देश्य ऐसी संस्थाओं को कायम करने में बच्चों का उपकार करना नहीं रहा है, बल्कि उन का ध्यान रहा है कि वे अपना धर्म पालने वालों की तादाद को बढ़ावें। इस लिये चकरात इस बात की है कि आज इस प्रकार की जो संस्थाएँ हमारे देश में बनती हैं या जाने चलने वाली हैं, उन संस्थाओं की देख भाल उन का नियंत्रण, उन का प्रबन्ध, उन का कल्याण अच्छा रहे, और ऐसी संस्थाएँ हों जो उन की देख भाल कर सकें और उन संस्थाओं के अन्दर, उन आश्रमों के अन्दर जो हमारे बच्चे बच्चियाँ रहेंगी या महिलाएँ रहेंगी, उन के रहन सहन, खाने पीने और शिक्षा इत्यादि का भार जो संस्था लेती है, उसे वह ठीक से करती है या नहीं, इस बात की निगरानी रखे। इस लिये जैसे और माननीय सदस्यों ने इस का समर्थन किया है, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

मेरा सब से पहला सुझाव इस विषयक के नाम के बारे में है। मैं समझता हूँ कि "शार्फन एंड विडोव होम" के बदले कुछ दूसरा नाम इस बिल का रखा जाय तो अच्छा है। आज बहुत सी संस्थाएँ हमारे बच्चों के कल्याण के लिये हैं, महिलाओं के कल्याण के लिये हैं, इस लिये शार्फन शब्द का इस्तेमाल आज कल के समय में, जब कि हम ने अपने ऊपर समाज कल्याण की जिम्मेदारी ली है,

न हो तो अच्छा है। इस की उपेक्षित बच्चे बच्चियों की देख भाल गृह-उपेक्षित कल्याण गृह, बाल कल्याण गृह, बाल कल्याण समिति जैसा कोई नाम दिया जाय तो अच्छा है। इस लिये मैं प्रवर समिति से यह आशा करता हूँ

16 hrs.

[SHRI BARMAN in the Chair]

श्री श्री० चं० शर्मा : विडोव होम की जगह क्या नाम रखा जाय ?

श्री बीनारायण दास : मैं बतलाता हूँ। मैं प्रवर समिति से कहना चाहता हूँ कि इस बिल में शार्फन शब्द न रखा जाय तो अच्छा है और जो संस्था बने उस का नाम किसी दूसरे शब्द से रखा जाय। विडोव होम के बारे में पूछा का रहा है जैसे कि हमारे माननीय सदस्य प्रश्न उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पहले हमारे देश में जो विधवाओं की हालत थी उस में कुछ सुधार करने का प्रयत्न किया गया है। पहले विधवाएँ अपने स्वामी की जायदाद में पूरा अधिकार नहीं पाती थीं, उस को हम ने थोड़ा बहुत नाम दिया है। ऐसी हालत में अब हमारे यहाँ विधवाओं का स्थान, जो पहले उन का समाज में स्थान था, उस से ऊँचा है। पहले विधवाएँ घर से भाग कर के, या घर के परिवार से भाग कर के, समाज को छोड़ कर ऐसे काम में बसा करती थीं जो अवांछनीय थे। लेकिन मेरा क्या है कि जब हमने उन्हें सम्पत्ति में अधिकार दिया है तो इस बात को भरे नजर रखते हुए बहुत बड़ी विधवाएँ होंगी जो अपना घर छोड़ कर चली आवेंगी। लेकिन बहुत सी ऐसी विधवाएँ हो सकती हैं जिन के स्वामियों के पास सम्पत्ति नहीं थी, ऐसे स्वामियों के मर जाने से जो विधवाएँ होंगी, उन का पालन पोषण करना जरूरी है। ऐसी भी उपेक्षित महिलाएँ बहुत सी होंगी जिन के लिये समाज में कोई सहारा नहीं है, इस लिये वह कुछ नाजायज काम या अर्थात् काम भी कर लिये

कस्ती है। ऐसी स्त्रियों की बेस भाल के लिये कोई संस्था होनी चाहिये। उन को बिबीज हीम न कह कर, महिलाधम कहा जा सकता है। मैं समझता हूँ कि प्राचिन और बिबी इन दोनों शब्दों को निकाल कर दूसरे शब्द इस्तेमाल किये जाने चाहिये।

बीबिजी ब्याबेन बिल : प्राचम शब्द भी तो नहीं कहना चाहिये।

बी बीनारायण दास : जो भी हो, मैं प्रवर समिति से यह निवेदन करता हूँ। दूसरे भी यदि कोई ऐसा नाम सुझ पड़ेगा तो मैं प्रवर समिति के सदस्यों को इस बात की सूचना दे दूँगा। लेकिन अभी मेरा क्याल है कि वह दोनों नाम जो है वह ठीक नहीं हैं।

इस विवेक में दिया गया है कि जो बी ब्याबालय होगा, जो भी महिलाधम होगा, उस के प्रबन्ध के लिये एक प्रबन्ध समिति होगी, कुछ व्यक्ति विशेष लोगों का प्रबन्ध होगा पर उनके अधिकार सीमित होंगे। इस के लिये उन का चुनाव है कि इस के लिये एक समिति होगी चाहिये। मैं भी इस का समर्थन करता हूँ। लेकिन जैसा इस में दिया गया है, इस समिति के जो सदस्य होंगे वह रजिस्टर्ड मेम्बर्स के द्वारा चुने हुए होंगे। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की संस्थाओं का प्रबन्ध चुनी जाने वाली प्रबन्ध समिति के हाथ में होगा तो इस का परिणाम बहुत अच्छा नहीं होगा। रजिस्टर्ड मेम्बर जो होंगे वह बन्दा देने वाले सदस्य ही होंगे और वे बोर्ड से ही होंगे। इस हों, पंद्रह हों, उन्हीं के कहने पर संस्था चलेंगी। जहाँ पर प्रबन्ध समिति के लिये रजिस्टर्ड मेम्बर्स के द्वारा चुनाव किये जाने की बात है, उस की जगह यदि जहाँ पर कोई स्थानीय सामाजिक संस्था हो, जैसे कि हमारा लोकल वेल्फेयर बोर्ड है जो कि प्रान्त गान्त में और विशेष विशेष में है या जहाँ के जो अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह हैं उनके द्वारा उस जिले के प्रन्धर, उस शहर के प्रन्धर और उस इलाके के प्रन्धर

जो सामाजिक काम करने वाले लोग हैं वे बोर्ड में नहीं जाते हैं और सामाजिक काम करने वाले लोग बोर्ड से भागते हैं, ऐसे लोगों को जो कि समाज की सेवा करने वाले हों या जिनको कि बच्चों से खास दिलचस्पी हो, ऐसे लोगों को नामजद करके कार्यसमिति में रखे जाने की गुंजाइश हममें रहनी चाहिए, यह मेरा सुझाव है।

दूसरी बात इसमें यह भी हुई है कि इस तरह की जो बच्चों और महिलाओं के उपकार के लिए संस्था बनेंगी, उसके नियन्त्रण और देखभाल करने के लिए एक बोर्ड प्राक कंट्रोल होगा लेकिन उस बोर्ड प्राक कंट्रोल वाले क्लाय में जो कि हमारा क्लाय नम्बर १२ है उसमें यह लिखा हुआ है :—

"The Board of Control shall consist of one representative from each of the district orphanages and widows' homes from within the State existing at the time of the constitution of the first Board and thereafter as prescribed".

मैं समझता हूँ कि इसमें भी अधिक परिवर्तन करने की जरूरत है। केवल जिलों से जो एक एक प्रतिनिधि चुन कर इस बोर्ड में धावें, उनसे ठीक काम चलने वाला नहीं है और मैं समझता हूँ कि दोनों तरह के प्रतिनिधि इसमें रहने चाहिये अर्थात् संस्था के मुख्य चलाने वाले लोग भी रहें और वे व्यक्ति भी रहें जो कि हाताकि संस्था को ठीक नहीं चलाते हैं लेकिन समाज कल्याण के कार्यों में भाग लेते हैं और समाज कल्याण कार्यों में व्यक्तिगत हैसियत से दिलचस्पी लेते हैं, या जिनको कि बच्चों से प्रेम व मुहब्बत है या जिनको कि समाज जानता है कि यह लोग बच्चों से प्रेम मुहब्बत व दिलचस्पी लेने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की नामजदगी इस बोर्ड में सरकार के द्वारा हो या किसी संस्था के द्वारा हो और इस तरह के नामजद व्यक्ति भी इस बोर्ड प्राक कंट्रोल में रहने चाहिये। अब इस विवेक की जो बाराण दी गई है उनको

[श्री मौनाराधेन दास]

देखने से यह मालूम होता है कि यह केवल कंट्रोल, नियंत्रण और नियंत्रण करने के लिये है और बिल के क्लॉज १६ में यह दिया हुआ है—

"It will be the duty of the Board to afford protection to the orphans and widows and to that end bear all responsibility for the opening, maintenance, supervision and control of all orphanages and widows' homes throughout the State"

अब हम विधेयक के उद्देश्य की देखते हैं और जो इस १६ नम्बर के क्लॉज में संक्षेप में बताया गया है उसके अनुसार उसका कार्य जेन बहुत व्यापक हो गया है। अब बोर्ड के धर्म ऐसा नहीं है और जेन कि मैंने कहा कि इसमें अपने धर्म के का सफल विमर्श नदारद है तो मैंने सोचा कि यह सब किया है कि हर एक जिले में एक एक ऐसा अनाथालय या महिला-गृह कार्य किया जायगा और इसमें कहा गया है—

"There shall be maintained and recognised in every district town of a State at least one orphanage and one widows' home if any one of the categories provided in sub-section (3)."

अब यह "जिल" किस के लिए बाडिंग है ? यह स्टेट वर्कमेंट्स के लिए बाडिंग है और इसलिए यह उचित होगा कि जब हम यहां इस तरह के सोशल लेजिस्लेशन बनाये तो वह जो हमने इसमें मजबूती रखी है मैं समझता हूँ कि उसमें हमें परिवर्तन करना होगा। बिल का जो उद्देश्य है वह केवल कंट्रोल करना ही नहीं है बल्कि १६ नम्बर के क्लॉज में बोर्ड का वह कर्तव्य बताया गया है कि वह सकारित और बिबाव बहिनों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वह समान स्टेट के चरम प्रारक्षण के

और बिबाव होम्स के खोलने, चलाने और उनका निर्वहन करने की समान जिम्मेदारी वहन करे। अब जाहिर है कि इन सब कार्यों की करने के लिए उसके पास पर्याप्त फंड्स होने चाहिए और उनकी राज्य सरकार की तरफ से या केन्द्रीय सरकार की तरफ से अधिकार होना चाहिए कि वह अब कौनों पर खर्च कर सके। इसलिए बोर्ड के लिए काली यह कह देना कि उसे उनको खोलने और उन पर निर्वहन करने का अधिकार होना पक्की नहीं होगा। जब तक कि इन कार्यों को करने के लिए उसके पास खर्चा नहीं होता और जब उसको अधिकार नहीं है तब तक ठीक से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि क्लॉज १६ को फिर से ठीक करके बनाना चाहिए।

महापति महोदय, यह तो ठीक है कि हमारे देश में धर्म को मानने वाले बहुत लोग हैं लेकिन हमारी सेकुलर स्टेट है, धर्म निरपेक्ष राज्य है और इसलिए धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है, न किसी धर्म को सहायता देता है और न ही किसी धर्म के काम में कोई रुकावट डालना बंधन डालता है। लेकिन इतना जरूर है कि जब हमने अपने देश को एक कल्याणकारी राज्य घोषित किया है तो बच्ची की देखभाल करने का काम राज्य का है, जो कि हम अभी नहीं कर रहे हैं और जो कि हमें करना चाहिए। आज हमारे देश में चाहे वे किसी धर्म के अनुयायी हों, वे आज अपने धर्म का पोषण करने वाले बच्ची की एक संस्था बना कर कहते हैं कि हम उनका देखभाल करेंगे लेकिन इनके दिमाग में भावना यह रहती है कि हम धर्मों की देखभाल करते हुए अपने धर्म की उन पर साव हैं और इस धर्म विशेष की सहायता देते हैं। वे नहीं पर इस तरह से

बच्चों व महिलाओं को रखते हैं और उनका परिपालन करते हैं कि उसमें रहने वाले लोग उनके धर्म की और आकर्षित हों और इस तरह की शिक्षा दीक्षा देने में उनका उद्देश्य यही रहता है कि वे हमारे धर्म को मान लें। मैं समझता हूँ कि यह जो भावना आज हमारी धार्मिक संस्थाओं में काम कर रही है यह देशहित में नहीं है। हम उनके काम में बाधा डालने के लिए कोई कानून नहीं बनाता चाहते हैं लेकिन मैं राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि बच्चों और नेगलेक्टेड वीमेन की देखभाल करने की जिम्मेदारी अब राष्ट्र की हो गई है और इसलिए अगर आप बच्चों को इस तरह अपने एक विशेष स्वार्थ के खातिर अपने वहाँ रखते हैं और उनको डरा कर व धमका कर अपने मत के अनुरूप करना चाहते हैं और इस तरह नाजायज फायदा उठाते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप अपने कर्तव्यच्युत होते हैं।

मैं श्री कैलाश बिहारी लाल को उस परिश्रम के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस बिल के लाने और राज्य सभा द्वारा इसको ज्वाइंट कमिटी में भेजने के लिए उन्होंने उठाया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने इस बिल को बनाने में काफी मेहनत की है और मैं मानता हूँ कि यह बहुत जरूरी बिल है और यह बड़े सन्तोष और हर्ष का विषय है कि उनको इस बिल को ज्वाइंट कमिटी को रैफर कराने में सफलता मिली और जैसे कि श्री शर्मा ने इनको बधाई दी तो मैं भी उन्हें इस बिल को लाने के लिए बधाई देता हूँ। यह बड़े सन्तोष का विषय है कि यह विधेयक संयुक्त प्रवर समिति को विचारार्थ सौंपा जा रहा है और वास्तव में यह एक गैर सरकारी सदस्य के लिए बहुत प्रसन्नता और संतोष की बात है। लेकिन सरकार यदि केवल इस तरह के विधेयक को पास करके यह समझती हो कि उनसे उन अभाग बच्चे और उपेक्षित महिलाओं के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर

लिया है तो मैं समझता हूँ कि यह ठीक नहीं है। मैं तो कहूँगा कि जितने भी ऐसे लावारिस बच्चे हमारे देश में हैं जिनकी कि देखभाल उनके माता पिता नहीं कर सकते हैं या समाज नहीं कर सकती है उन सब की देखरेख और पालनपोषण और शिक्षा दीक्षा का प्रबन्ध करना, यह सरकार का उत्तरदायित्व है। सरकार ने अपने ऊपर तमाम जनता का भार लिया हुआ है खास कर ऐसे लोगों का जो कि उपेक्षित हैं और जिनकी कि कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी समाज सेवा संस्थाएँ और धनी मानी व्यक्ति जो कि गरीबों की परवरिश के लिए यतीमखाने और अनाथालय इत्यादि खोलते हैं वे सरकार को इस विशाल सामाजिक सुधार के काम में सक्रिय सहयोग दें। आज चाहे वह केन्द्रीय सरकार हो अथवा राज्य सरकार यदि वह उपेक्षित बच्चों की शिक्षा दीक्षा और देखभाल का भार अपने ऊपर नहीं लेती ह तो मैं समझता हूँ कि वह अपने कर्तव्य से च्युत होगी। इसलिए इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ हालांकि मैं यह मानता हूँ कि इस बिल में बहुत सुधार की गुंजाइश है लेकिन मैं इस के सम्बन्ध में अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि संयुक्त प्रवर समिति के माननीय सदस्य जिनके कि विचारार्थ यह बिल जा रहा है वे काफी योग्य और विद्वान हैं और मुझे पूरी आशा है कि वे इसमें आवश्यक संशोधन और सुधार कर लेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

Shri Kadiyan (Quilon—Reserved—Sch. Castes): Mr. Chairman, I am very glad to support this Bill. From the discussion in this House, it is clear that almost every section of the House is whole-heartedly supporting the idea behind this Bill. The various charitable institutions and orphanages in our country have some background. Because of the negligence and disregard shown by Gov-

[Shri Kodiyan]

ernment as well as by those at the helm of affairs in society towards the sufferings of the weaker and unfortunate section of the society, somebody had to take up their cause and something had to be provided. So, naturally, some institutions with their humanitarian outlook came forward and started here and there some institutions to provide shelter to these unhappy people.

I am not against any such institutions which are now engaged in this humanitarian work in our country. But considering our experience of the working of the various institutions in the country that have been engaged in this kind of work, we cannot feel happy over the actual working of these institutions. In the name of humanitarian service, charity and protecting the ill-fed and ill-clad, all kinds of malpractices are going on in certain institutions. I do not blame that all these institutions are not running in a proper way. In the name of some institution, certain sections of the people are taking undue advantage for their personal ends. In several cases, the funds of the institutions are being misused. Certain institutions take a very sectarian stand and give these benefits only to certain religions or communities. That also we have come across in the past. In spite of these defects and malpractices, they have done a sort of service, which should not be taken away.

The sole intention of this Bill is to introduce certain kinds of supervision over the functioning of these institutions. Today neither the Government nor public organisations take the responsibility of looking after these unhappy and unfortunate people. So, these private institutions are practically left to their own whims and fancies. Nobody is to question them and they are answerable to none. This sort of thing cannot continue.

So far as the Government is concerned, it is highly regrettable that

even though we are in the midst of intensive planned development work, this human aspect of the question has been more or less neglected. With regard to child welfare—I am not talking about the orphans alone—taking the children of the country who are to become the citizens of the future, who have to shoulder the responsibility of running the administration of the country, even those children are not today looked after properly. We are spending crores of rupees for various developmental activities in our country. But if we look into the Five Year Plan and the provisions allotted for various developmental work, we will find that for child welfare a comparatively small sum has been provided for. From that we can know that that aspect has not been taken seriously enough by us to have a definite policy of developing the health of our children, to mould their character to make them become real and worthy citizens of our country. So, if that vital aspect of the question has not been given due attention, we can very well imagine what the position would be when we come to the question of poor orphans, the ill-clad, ill-fed, unfortunate sections of people of our society, in whose case the negligence is more revealing. Therefore, I would submit that this aspect of the question has to be taken into consideration seriously, and I am personally of the opinion that if any attempt is being made to strangle the working of the private institutions which are engaged in this humanitarian service that would create difficulties.

But, according to this Bill, if the working of these various charitable institutions is to be properly guided and properly administered, some kind of governmental supervision is to be enforced. I maintain that this kind of supervision by the Government would not in any way adversely affect the institutions that are now working in the country. So, the fear expressed by various heads of Catholic institutions cannot stand at all.

They are baseless. Because, there is no provision in this Bill to strangle the working of these institutions. The Bill only seeks to provide some kind of control. Otherwise, the defects, malpractices and so many other evil things that we are now seeing with regard to the functioning of these institutions will continue.

This is a very important work. Now the looking after of the unfortunate sections of the people of our society is done by some private individuals and private institutions. It is not a very easy task. If we take a census of the ill-clad and ill-fed orphans and other similar people in this country, I am afraid it will come to millions. Then, if we take into account some communities like Scheduled Castes and Harijans as ill-clad and ill-fed, the number will be still larger.

So, in order to protect these people, private institutions will not be able to perform their responsibilities and funds may not be available. Therefore, it is the duty of the Government to come forward to assist these charitable institutions. But, at the same time, enforcement of some kind of control over the functioning of these institutions is very desirable. With these few words I conclude my speech.

वर्तित काल ३० ज्योतिषी (सामर)

जाना केयरमन साहब, समाज जैसा कुछ है, परिवर्तितियों जैसी कुछ है, उस समाज और उन परिवर्तितियों में यह स्वाभाविक है कि अभावपूर्णों, यह स्वाभाविक है कि अभावपूर्णों और विषयों हैं, लेकिन अभावों, अभावों और विषयों को तटस्थ दिवा जाये, परेशान होने दिया जाये, यह समाज और समाज के लिये कर्म की बात होती है। स्वाधीन भारत में विद्य-तरङ्ग-राष्ट्र ने विभिन्न विषयों में तरङ्ग की शक्ति पर कदम बढ़ाया है, यह भी बकरी है कि इस दिशा में भी कदम बढ़ाये। यह दिन देस कर मुझे

बड़ी खुशी होती है कि हमने इस दिशा में भी सोचा है और एक मजबूत कदम उठाने का बोझा दरादा किया है।

इस संबंध में जितनी समस्याएँ प्रायः उभर उभर रही हैं उन में जो आदमी ईमानदारी से, सेवा-भाव से काम कर रहे हैं, वे मजबूत के पात्र हैं। यह ठीक है कि कुछ संस्थाओं का काम अच्छा होता है, लेकिन कुछ संस्थाओं का काम सराब भी पाया जाता है और बहुत सराब पाया जाता है और यह जरूरी है कि जहाँ सराब काम होता है, उस पर नियंत्रण किया जाये। तो यह जो बिल है, यह यदि ऐसी संस्थाओं पर नियंत्रण का मसला हमारे सामने पेश करता है, तो मैं नहीं समझता कि किसी भी दियानतदार संस्था को इस से दुखी होना चाहिये, परेशान होना चाहिये। जो सेवा-भाव से काम कर रहे हैं, जो तकलीफ उठा रहे हैं, उनके लिये तो यह स्वागत की बात होगी चाहिये और उनको बोझी सी तकलीफ और उठाने के लिये और बोझा सा नियंत्रण और बर्बाद करने के लिये तैयार होना चाहिये। जिन के मन में सेवा-भाव है, उन आदमियों और संस्थाओं का इस तरह अधिक से अधिक स्थान होना चाहिये कि कहीं पर अनाथों और विधवाओं की सेवा के नाम पर कोई गलत काम न हो सके। यदि इस संस्थायें अच्छी हैं और यदि एक भी संस्था सराब है, उस में यदि भेईदानी का काम हो रहा है, उस के संचालक यदि अनाथों, धर्माहिजों और विधवाओं की सेवा के नाम पर भ्रष्टाचारी चला रहे हैं, तो यह समाज के लिये और विशेषकर उन संस्थाओं के लिये, जो कि ईमानदारी से काम कर रही हैं, एक चैलेंज की बात है। यदि कोई ऐसा कानून प्राये, जिस से सराबियों को रोकने में कोई मजबूत कदम उठ सके, तो इस तरह के कानून से दुखी होना, दुःख होना, मैं समझता हूँ, उचित नहीं है। मुझे यह सुन कर ताज्जुब हुआ कि एक तबका विशेष पेशा है, जिस को इस बात पर शक तो है कि प्राइवेट संस्थाओं पर नियंत्रण

[संक्षिप्त भा. प्र. ज्योतिषी] [४]

लगाया जा रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सेवा-भाव के धीरे ईमान-दारी से काम कर रहे हैं, उनके लिये कोई कहीं नियंत्रण नहीं है, लेकिन गलत गलत काम करने वाले धावमियों के लिये जुली छूट दे दी जाये, यह शासन का काम नहीं है। शासन की यह जिम्मेदारी है कि जहाँ भी गलती हो, उस पर टोक लगाये। वह बिल टोक लगाने की दिशा में एक अच्छा कदम है।

दो चार संस्थाएँ दहर उभर जो मैंने देखीं, उनमें एक दो संस्थाएँ तो ऐसी निकलीं, जो कि समाज के लिये कलक है। बच्चों के नाम पर लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन उस पैसे का दुरुपयोग किया जाता है। दिल्ली में मैं देखा हूँ कि हर दो चार रोज के बाद एक अच्छा दरवाजा खोल कर आ जायगा और किसी संस्था के लिये पैसे की मांग की जाएगी। समाज की इस स्थिति में यदि कोई इस प्रकार हाथ कैनाये और उसकी जोशी में कुछ न डाला जाये, यह गलत बात है। लेकिन कौन धावमी सही हैं और कौन गलत, कौन संस्था सही हैं और कौन गलत, इसका कोई तस्वीरना हमारे सामने नहीं है। कितना पैसा हमारा इस तरह गलत संस्थाओं में जा रहा है, यह हम जान नहीं पाते। इस बिल के द्वारा जो नियंत्रण लगाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि वह इस प्रकार की गलत संस्थाओं को खरम कर सकेगा।

आज की समाज की जैसी कुछ स्थिति है, उसमें यह जरूरी है कि शासन की तरफ से इस दिशा में अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन काममें हों। इसका मैं स्वागत करूँगा। हर जिले में एक संस्था खोली जाये, ऐसी बात इस खदन में बहुत से लोगों ने कही है। बेपरवाह महोदय, मैं नर्मतापूर्वक कहूँगा कि हमारे रज के कोष को देखते हुये मुझे लगता है कि हरे जिले में संभवतः आज इस की आवश्यकता

नहीं है। यदि एक प्रदेश में एक बड़ी इन्स्टीट्यूशन खोली जाती है, जो कि बहन-भार-भनाइए हो और अच्छे तरीके से नियंत्रित हो, जिस में सारे प्रदेश के बच्चे और अपाहिज बच्चों को इकट्ठा किया जा सके, तो भाग की स्थिति में यह पर्याप्त है। मेरे जिले में एक भनायालय है, जिमें छः बच्चे हैं। मैं यह नहीं कहता कि ऐसे भनायालय टूट जायें, लेकिन इस प्रकार की छोटी छोटी मशरूम रूपी संस्थाओं की प्रभावशाली भेरी समझ में नहीं आती। बहुत सा पैसा ऊपरी व्यवस्था में ही खर्च हो जाता है। अच्छा हो यदि तीन चार जिलों के बीच एक अच्छी संस्था काममें हो, जिस पर बहुत अच्छा नियंत्रण हो और उस को पर्याप्त सहायता दी जाये। कैदियों के तसलों जैसे बर्तनों में छोटे छोटे सुकुमार बच्चे खाना खाये और उनके जीवन के लिये घर-घर से दो दो, चार चार पैसे करके जो रुपये लिये जाते हैं, उनको कोई सेवक नामधारी व्यक्ति हड़प जायें, तो यह गलत चीज है। चार छः जिलों में मिल कर एक अच्छी संस्था बनाई जाये। सरकार का उस पर नियंत्रण हो। उसको अच्छी तरह से देखा जाये बच्चों की वहाँ अच्छी व्यवस्था हो। अगर ऐसा किया जाये, तो बहुत अच्छी बात है।

जहाँ तक विधवाओं का संबंध है, इस देश का दुर्भाग्य है कि अभी हमारे ऐसे नियम हैं कि जिन के कारण, और कुछ ऐसी व्यवस्था है कि स्त्री को जितनी तेजी से समाज में आने आना चाहिये, वह नहीं आ रही है और उस पर जो आर्थिक दिककत है, वह हल हो जानी चाहिये, वह हल नहीं हो रही है। उस दिशा में शासन और समाज ने कदम उठाया है, लेकिन तों भी विधवाएँ होंगी, अपाहिज होंगे संगड़े-बूके होंगे। शासन का यह उत्तर-दायित्व निश्चित है कि ऐसे व्यक्तियों की सहायता अधिक से अधिक की जाये। लेकिन मैं यह महसूस करता हूँ कि विधवायमों का इन्तजाम करने में बहनों का ज्यादा सहयोग लिया जाये। यह बहुत जरूरी है। मैं उस की

डीटेल में नहीं चाहें। लेकिन मैं यह समझता हूँ कि अगर बहनों का काम बहनें ही करें, तो अच्छा हो। हमारी बहनें काफी उमर हैं। इस लिये बहनें ही बहनों की संस्थाओं की देख-भाल करें। अनायासों में भी मां बनने का हक बहनों का है। बहुत कम पिताओं में मायावा होता है। ज्यादा अच्छा हो अगर हमारे अनायासों में ज्यादातर बहनों के नियंत्रण में चलें।

पूरे प्रदेश के नियंत्रण के लिये एक बोर्ड की व्यवस्था की गई है। अनायासों के प्रबन्धक भी इस बोर्ड के सदस्य हों, इसको मैं पर्याप्त नहीं समझता। मैं यह आवश्यक समझता हूँ कि बाहरी नियंत्रण होना चाहिये। कोई भी इन्स्टीट्यूशन प्रायः कायम करते हैं। उसके प्राध्वी उस को क्या नियंत्रित करेंगे? जैसा उन से चलाये बनता है, वे उसको चलाते हैं। उनका नियंत्रण तो हो रहा है। उस बोर्ड में बाहर के लोगों का—जिन माताओं और बहनों के मन में बहनों और बच्चों की सेवा करने की भावना है उनका समावेश होना चाहिये। मैं जोरदार शब्दों में इस बात की सिफारिश करूँगा कि कमेटी इस बात का ध्यान करे कि प्रदेश के नियंत्रक बोर्ड में प्रदेश की अच्छी अच्छी महिलाओं का समावेश किया जाना चाहिये।

इन सबको के साथ मैं इस बिल की टाईद करता हूँ और उन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन के मन में बच्चों का यह उठा और उन्होंने इस बात को सदन के सामने रखा।

श्रीमती लक्ष्मी बाई (विकाराबाद) : समापति महोदय, मैं इस बिल की टाईद करने के लिये आई हूँ। यह बिल बहुत अच्छा है। अगर मैं एक बात की तरफ ध्यान की तबज्जह बिनावा चाहती हूँ। ५० सालों से हमने बीसवा बहुत सीखा लिया। काम कम और बीसवा ज्यादा। इससे क्या हो रहा है? इसके हमारा काम नहीं बनता। बिल बहुत बने हैं लेकिन

काम कुछ नहीं होता। इसमें हमारा बहुत समय बला जाता है। मैं इस बिल की टाईद करते हुये दो तीन सुझाव देना चाहती हूँ।

इसके वास्ते काफी पैसा होना चाहिये और काम करने वाले कार्यकर्ता होने चाहिये। यह बिल बहुत अच्छा है। इसके पास होने से बहुत अच्छा रहेगा लेकिन प्रयत्न करने के लिये भी तो लोग होने चाहिये। भली भली हमारे भाई बोल रहे थे कि यह बहनों का काम है। माइनों का काम है बिल बनाना और बहनों का काम है काम करना। हिन्दुस्तान में पहले ऐसी श्रमिका की कि हमारे ऋषि और महर्षि लोगों के जमाने से जो लोग काम करते थे, सेवा करते थे, समाज की सेवा का जो ध्यान रखते थे, उनको लोग बहुत इज्जत देते थे। उन लोगों के जरिये राज्य चला करता था। पुराने जमाने में ऋषि महर्षियों के जरिये काम चलता था। राजा महाराजा उन के डरते थे और उनकी बातों से काम चलता था। उन लोगों के आश्रमों की राजा रखा करते थे। होते होते अब वह आश्रम भी नहीं रहे और उस तरह काम भी नहीं रहा। आज तो जो काम हो रहा है वह बिल्कुल पहले से उल्टा हो रहा है। जो आश्रम चलते हैं उनकी कोई इज्जत आज नहीं है, सरकार उनकी सुनती नहीं है। भले ही कोई और लोग सुन लें, लेकिन यह सरकार कभी नहीं सुनती। इसके अलावा एक और बात भी गई है। हर बात में पालिटिक्स का प्रवेश हो गया है। सर्वोदय समाज में भी पालिटिक्स पहुंच गई है। पालिटिक्स को देख देख कर लोग काम करते हैं। सारे लोग अब पालिटिक्स पर ही नाचने लगे हैं। ऐसे लोगों को हमको रोकना चाहिये। मैं आपसे बतलाती हूँ कि इस समय जो हमारे भाई बहुत टाईद कर रहे थे, मैंने उसको सुना। मेरे बिल में यह बात पैदा होती है कि यह देश का काम करने वाली कार्यवाही है। उन्होंने बहुत सी बातें बतलाई हैं कि हमारे समाज में लोग क्या करते हैं। बच्चों को इस्तेमाल कर के पैसा मांगने के लिये आते हैं। कुछ लोग इस तरह के हैं। लेकिन साथ में कुछ लोग ऐसे

[श्रीमती लक्ष्मी बाई]

भी हैं जो अपनी जिन्दगी को बरबाद कर के गरीबों की सेवा करने में दिन बिताते हैं। लेकिन उनका नाम यहां नहीं आता है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। बहुत से लोग इन चीजों का दुरुपयोग करते हैं, यह सही है। मैं भी इसका तजुर्बा रखती हूं। लेकिन आखिर इसको ठीक कैसे करें ? इसके लिये पैसा होना चाहिये, अच्छे कार्यकर्त्ता होने चाहियें। यह जो बिल है इसको काम में लाने के लिये अगर रुपया का अर्रेंजमेंट नहीं है तो इस बिल की बनाने से कोई काम नहीं चलेगा। प्राइवेट आर्गनाइजेशन ऐसे होने चाहियें जैसे कि सर्वोदय समाज है। लेकिन सर्वोदय समाज को आज कोई पूछता नहीं है, सर्वोदय वालों को लिखना चाहिये कि हम आप के काम के ऊपर तवज्जह देते हैं। पर आप उन को मदद नहीं देते, न उन के बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं। उनको बुलाना चाहिये और उनसे सलाह लेनी चाहिये। सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। इस वास्ते जो हमारे अपोजीशन के मेम्बर बोले कि कैथोलिक्स लोग बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे मैं कहना चाहती हूं कि पहले जब वे हिन्दुस्तान में आये तो बिल्कुल सेवा की भावना से आये, जो हमारे यहां छद्म छूत की भावना थी, उस को खत्म करने के लिये आये और गरीबों के गांवों में गये। लेकिन हम तो वह काम करते नहीं। वह लोग करते हैं, मगर इसमें बहुत नुकसान होता है। कंवर्शन होते हैं, लेकिन उनके ऊपर आप कोई ऐक्शन नहीं ले सकते। कानून बहुत बड़ा है, लेकिन कह कुछ नहीं सकते। इसके वास्ते हम कुछ नहीं कर सकते। यहां पर बहुत से लोग धर्म की बात करते हैं। आज धर्म पर चलने वाला कौन है जिसको हम गिन सकते हैं ? पिता है, माता है, बहन है, कौन है ? आज धर्म के लिये लोग मरते हैं, लेकिन धर्म के लिये काम करते वाला कोई नहीं है। इस सिलसिले में मैं कहना चाहती हूं कि आखिर हमारे धर्म के भीतर क्या है ? अगर षडांग नहीं तो जो कमाई होती है उसमें

से एकभाग तो गरीबों को देना चाहिये। ऐसा हमारे धर्म में बतलाया गया है। लेकिन षडांग तो दूर रहा, १ पर सेंट भी हम जिन्दगी में देने वाले नहीं हैं। ऐसी हालत में समाज का क्या बनेगा ? इस वास्ते हमको आगे आना चाहिये। हम लोगों की जितनी कमाई होती है उसमें २ परसेंट, ३ परसेंट, ४ परसेंट, कुछ तो हमको पहले निकाल देना चाहिये। आज हमारे समाज की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये इस वास्ते चाहे भारत सेवक समाज हो चाहे कोई और कार्यकर्त्ता हों, उन को इस चीज को देखना चाहिये। पिछले जमाने में यह था :

अन्ते योगेन तनुत्यजाम्

लोग योग से शरीर को छोड़ते थे। रोग से कोई नहीं मरते थे। जो जैसे चाहते थे वैसे मरते थे। ऐसी शक्ति थी उन लोगों के पास। इसके लिये हम लोग कहां तैयार हैं ? आज तो कहा जाता है, जैसे शर्मा जी ने कहा, कि ६० साल या ७० साल की औरतों के वास्ते यतीमखाने होने चाहियें, औरतों के वास्ते घरों की व्यवस्था होनी चाहिये। आज ७० बरस में भी कोई सेवा करने के लिये नहीं जाता है। ८०, ९० साल तक जीवित रह कर भी घरों में ही मरना चाहते हैं। दूसरों की सेवा का किसी को ख्याल नहीं है।

16-43 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

पुराने जमाने में वाणप्रस्थ आश्रम था। आखिर में लोग योगाश्रम जाया करते थे और योग से प्राण की छोड़ते थे। आज भी ऐसी भावना लोगों में आनी चाहिये। आज जो लोग रोगों से मरते हैं, उन लोगों के अन्दर इसके वास्ते एक स्पिरिट आनी चाहिये। जब तक हम लोगों की इसकी ट्रेनिंग नहीं देंगे तब तक हमारा काम नहीं चलेगा।

मैं एक और सुझाव देना चाहती हूं। आफ्नेज शब्द गलत है। अभी हमारी बहन

भी बोल रही थीं कि आर्फनेज शब्द नहीं बोलना चाहिये। आप इसका आर्फनेज न कह कर सेवा और कल्याणकारी मंडल कहिये, सर्वोदय कहिये। मैं महिला आश्रम या विधवा आश्रम शब्द सुनने के लिये बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। आप विधवा क्यों कहते हैं? विधवा कौन होती है? आप क्यों विधवा का बोर्ड वहाँ पर लगाना चाहते हैं? जो चोर डाकू होते हैं उनका भी तो आप बोर्ड लगा कर नहीं रखते हैं। इसलिये इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिये। पुराने जो आश्रम थे उनकी तरह की कोई चीज रखनी चाहिये। जहाँ तक धर्म का सवाल है अभी हमारे बनर्जी साहब बोल रहे थे। वह जो बोले वह मुझे अच्छा लगा, वह बिल्कुल सही बोले, ऐसे बहुत से लोग हैं, जो धर्म के नाम पर इस तरह के काम करते हैं। मेरा तो यह कहना है कि हर एक आश्रम के पास जमीन होनी चाहिये। आश्रमों को मुहल्लों और गलियों में १० या १५ २० का कमरा लेकर नहीं चलाना चाहिये। आश्रम तो ऐसे होने चाहिये जिनके साथ गांव से बाहर कम से कम २० या २५ एकड़ जमीन हो। पुराने लोगों में ऐसा होती था कि बगैर अपने हाथ से काम किये कोई खाना नहीं खाता था, और जो खाता था उसको लोग नमक हराम कहते थे। ८ साल क्या ५ साल का बच्चा भी पानी डालता था, १० साल का बच्चा भी कुछ काटता था। अगर हम महीने भर के काम का हिसाब लगा कर देखें तो मैं अपने एक्स्पिरिअंस से कहती हूँ कि १० साल का बच्चा भी महीने में ३ या ४ २० काम लेता था। अगर कहीं पर प्रोडक्शन सेंटर नहीं है तो वहाँ सिर्फ कटाई होती चाहिये, ऐग्रिकल्चर होनी चाहिये। जिन जगहों पर यह चीजें होती हों, उनको देखने के बाद आश्रमों की मंजूरी देनी चाहिये। अगर इस तरह का आश्रम हो तो चले। गांव के बाहर हम देखते हैं लोग बावली खोदते हैं, पैसा देते हैं। उनके पैसों से यह आश्रम चलें। यह नहीं होना चाहिये कि १० या १५ २० का कमरा लेकर बच्चों को वहाँ रक्खा जाये और इधर उधर का खाना

बच्चों को खिलाया जाये। आश्रमों में बच्चों के लिये गिजा का इन्तजाम हो, उन के पढ़ने और काम सीखने की व्यवस्था होनी चाहिये। आज तो हम बच्चों से वेगिंग करवाते हैं, उनको इधर उधर घूमने के लिये छोड़ देते हैं, इसलिये बच्चे गन्दे बन जाते हैं और हिन्दुस्तान की उन्नति रुक जाती है। इस वास्ते मैं बहुत अदब से कहूँगी कि ऐसे आश्रमों को अनाथाश्रमों या महिलाश्रमों के नाम से नहीं बिगाड़ना चाहिये। जिन आश्रमों के पास अपनी जमीन हो उन्हीं में बच्चों को भेजना चाहिये। और जमीन आश्रमों के पास में ही होनी चाहिये बिना इस के काम नहीं चलेगा। साथ ही इसमें औरतों और मर्दों का फर्क नहीं करना चाहिये। इसमें तो सब भाइयों की सेवा की प्रवृत्ति होनी चाहिये और वे वहाँ आकर बैठें। सब से बड़ी बात तो यह है कि जो हमारे लोग इस तरह के काम करते हैं, उनकी इज्जत होनी चाहिये। पिछले साल हमारे राष्ट्रपति ने एक सज्जन को पद्म भूषण की उपाधि दी थी। मैं उनका नाम तो नहीं जानती। वे कोढ़ियों की खिदमत करते थे। कुष्ठ के रोगियों की सेवा का जो काम करते हैं उनकी इज्जत होनी चाहिये, इससे उन की उत्साह मिलेगा। जब तक हम उनकी इज्जत नहीं बढ़ाते, वह इन कामों में उत्साह से नहीं लग सकते। बहुत से लोग तो इस काम को छोड़ देते हैं। इस से दोनों तरफ का काम बिगड़ जाता है और इस तरह से हमारा काम नहीं बनता है।

तो मैं इस बिल को बहुत अच्छा समझती हूँ। इसमें जो सुझाव रखे गये हैं उन पर अमल जल्दी होना चाहिये। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ।

The Deputy-Minister of Law (Shri Hajarnavis): The attitude of the Government towards this Bill was stated by the Law Minister in the other place. He stated there that the Government did not oppose the

[Shri Hajarnavis]

Bill and left it to the vote of the House.

I join with Shri D. C. Sharma wholeheartedly in the tribute that he paid to the sponsor of the Bill, Shri Kailash Bihari Lall, for his persistence, his zeal and public spirit which actuated him in making attempts over years in putting a measure like this on the statute-book. But, Sir, a word of explanation on behalf of Government is necessary. He had, as Shri D. C. Sharma has stated, started with the legislation on this subject some time in 1933. But Government at that time could not see their way to accept that Bill straightway.

As is well known, the legislative topic relating to this Bill falls in the Concurrent List. Therefore, the States can legislate, and the Centre also can legislate. But the machinery which is to implement the Bill must necessarily be the State machinery. The question, therefore, would be whether it is proper for us to put additional duties upon the State Governments without their concurrence; secondly, they might as well say that we must contribute to the expense.

Another factor which must be taken into consideration is that many of the States have their own legislation, which covers a wider area than the present Bill. But it was pointed out to us, and it went a long way towards persuading us, that an all-India Bill which set a model pattern for all the States would be very useful.

Those who think that Government had rejected the earlier Bill without adequate reason might compare the older Bill with the present one. Shri Kailash Bihari Lall himself very graciously told the other House about the help which the Law Ministry had given to him in putting his proposals in the present form. If we have made a little improvement in the original Bill that he had framed, then our

opposition to the original Bill was to a large extent justified.

It had been said that this Bill is likely to encroach on private charity. We had, therefore, to strike a balance between providing supervision on the one hand, so that these institutions of charity are not a cover for anti-social and criminal activities, and on the other hand, seeing that we do not put undue fetter upon individual social service or dry up the sources of private charities. I believe, in the present form, the Bill strikes a golden mean. The Bill will now go before the Joint Committee, if the House approves, and there we shall avail ourselves of the wisdom of the Members of the Joint Committee.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That this House concurs in the recommendation of Rajya Sabha that the House do join in the Joint Committee of the Houses on the Bill to provide for the supervision and control of orphanages; homes for neglected women or children and other like institutions and for matters connected therewith by Shri Kailash Bihari Lall, made in the motion adopted by Rajya Sabha at its sitting held on the 4th September, 1959 and communicated to this House on the 7th September, 1959 and resolves that the following Members of Lok Sabha be nominated to serve on the said Joint Committee, namely: Shri Asoke K. Sen, Shri R. M. Hajarnavis, Shri K. V. Ramakrishna Reddy, Kumari Maniben Vallabhbhai Patel, Shri B. L. Chandak, Shri S. A. Agadi, Dr. N. C. Samantsinhar, Pandit Mukat Behari Lal Bhargava, Shri Ansar Harvani, Shri Bhagwan Din, Shrimati Renuka Ray, Shri Nek Ram Negi, Shri A. Doraiswami Gounder, Shri K. K. Warior, Shri Khushwaqt Rai, Shri Ram Garib, Shri Bibhuti Bhusan Das Gupta, Shri Bhaurao Krishnarao Gaikwad, Shri Mohammad Tahir and Shri Diwan Chand Sharma."

The motion was adopted.

Shri D. C. Sharma: Sir, I wanted to say a few words.

Mr. Deputy-Speaker: If he wanted, he could have stood up.

Shri Supakar: It is not necessary because the hon. Minister agrees with his motion.

16:50 hrs.

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL

(Amendment of section 198) by
Shrimati Subhadra Joshi

Shrimati Subhadra Joshi (Ambala):
Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend
the Code of Criminal Procedure,
1898, be taken into consideration."

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के द्वारा हम लोगों ने एक विवाह होने के बाद यदि कोई व्यक्ति दूसरा विवाह करे तो उसको हमने क्रिमिनल ला का ऑफेंस बना दिया है। इस वर्तमान विधेयक में मांग की गई है कि एक से अधिक पत्नी रखना दंडनीय अपराध घोषित कर दिया जाय। इस तरह हिन्दुस्तान के इतिहास में यह पहला कदम था जिसके कि जरिये स्त्रियों की कुछ नजात मिली और कुछ रिलीफ मिला।

आज तक हमारे यहां यह प्रथा थी कि कोई पुरुष या कोई स्त्री, वैसे स्त्रियों में यह प्रथा नहीं थी लेकिन पुरुषों में खास करके यह प्रथा प्रचलित थी कि अगर कोई पुरुष एक शादी करने के बाद चाहे वह दूसरी शादी करे, तीसरी शादी करे या चौथी शादी ही क्यों न करे तो उस पर कोई रोक नहीं थी। तलाक हमारे यहां नहीं था और उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी पुरुष अपनी पहली बीवी को जब भी चाहे वह उसे छोड़ सकता था और उसको मायके भेज देता था और चाहे तो उसकी परवरिश करता था और चाहे तो परवरिश नहीं करता था और वह अपनी दूसरी या तीसरी

शादी कर सकता था। जब कोई लड़का अपनी दूसरी शादी करता था तो लड़के के मां-बाप जाते थे, उसके भाई, बहिन जाते थे और उसकी शादी में रिश्तेदार और जाति बिरादरी वाले भी जमा होते थे और शामिल होते थे। उस अभागि लड़की का बाप अपनी पगड़ी तक उतार कर उसके पैरों पर रख देता था ताकि वह उसकी लड़की पर रहम खाये और उसको छोड़ कर दूसरी शादी न करे लेकिन उसको दूसरी शादी से बाज रखने के लिये कोई कानूनी पाबन्दी नहीं थी और यह उसकी मर्जी पर होता था कि वह दूसरी शादी करे या न करे लेकिन उसके लिये दूसरी शादी करने में कोई कानूनी दिक्कत नहीं थी। हमारे देश के इतिहास में पहली दफा ऐसा कानून बना है कि एक पत्नी के रहते कोई भी पुरुष दूसरी शादी नहीं कर सकता। हम लोगों ने देश के कोने कोने में घूम करके अपनी बहिनों को विश्वास दिलाया कि अब उनके साथ इस तरह की बेइन्साफी और अन्याय नहीं होगा। कानून पास होने से पहले और कानून पास होने के बाद हम लोगों ने उनसे कहा कि कानून अब ऐसा बन गया है कि एक पत्नी के रहते हुये कोई पुरुष दूसरी शादी नहीं कर सकता।

पहले जब लोग दूसरी शादी करते थे तो उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास शिकायतें आती थीं, कि यह पुरुष लोग किस किस तरह के बहाने करके दूसरी शादी कर लिया करते थे। कोई तो यह कहता था कि मैं दूसरी शादी इसलिये कर रहा हूं क्योंकि मुझको अपनी पहली पत्नी से दहेज नहीं मिला तो कोई कहता था कि मैंने अपनी पहली बीवी को इसलिये छोड़ दिया क्योंकि उसके बच्चा नहीं होता था तो कोई कहता था कि बच्चे तो होते हैं मगर लड़कियां ही लड़कियां होती हैं और इसलिये मैं दूसरी शादी करने पर मजबूर हूं। और कोई कहता था कि मैं दूसरी शादी इसलिये कर रहा हूं क्योंकि मेरी पहली बीवी बीमार रहती है। यह बात बढ़ते बढ़ते